संख्या–वे0आ0–2–466/दस–54(एम)/2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
नगर विकास,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 28 जून, 2013

विषय– वेतन समिति (2008) के तेरहवें प्रतिवेदन (भाग–1) के माध्यम से दी गयी स्थानीय निकायों की पदवार विस्तृत संस्तुतियों/सुझाव पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पत्र संख्या–वे0आ0–2–402/दस–54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 21 जून, 2013 द्वारा संसूचित निर्णय के आंशिक संशोधन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र दिनांक 21 जून, 2013 के प्रस्तर–1 के उप प्रस्तर–10 में अंकित रू0 16500–39100 के स्थान पर रू0 15600–39100 पढ़ा जाय।

2– उपर्युक्त पत्र दिनांक 21 जून, 2013 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

अजय अग्रवाल
सचिव, वित्त।

संख्या–वे0आ0–2–466(1)/दस–54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
(3) निदेशक, एन0आई0सी0, छठां तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार जोशी)
संयुक्त सचिव।